उत्तर मध्य रेल

मण्डल कार्यालय
विद्युत परिचालन शाखा,आगरा

पत्र सं.आगरा/परिचालन/सेफ्टी ड्राईव/09 दिनांक:-27.10.2020

आपरेटिंग सेफ्टी ड्राईव–20/2020

विषय:-गाड़ी संचालन के दौरान गति प्रतिबंध **(SR)** का कड़ाई से पालन करने के सम्बंध में।

घटना:- दिनांक 25.10.2020 को गाड़ी सं.-LPGU,लोको सं.-28011/WAG-7/KZJ का आगरा प्रस्थान 9:17 बजे हुआ। लोको पायलट को जारी सतर्कता आदेश की प्रति में मद सं.-5 पर जाजौ-मनिया खंड मे कि.मी.सं. 1306/11-09 पर 20 कि.मी./घंटा का सतर्कता आदेश जो कि समय 10:00 बजे से रद्द निर्देशित था एवं मद सं.-6 जाजौ-मनिया खंड में कि.मी. सं.-1306/11-09 पर 30 कि.मी/घंटा का सतर्कता आदेश समय 10:00 बजे से लागू निर्देशित था। लोको पायलट द्वारा मद सं. 5 को हाईलाईट किया गया परंतु मद सं-6 को हाईलाईट नही किया गया। लोको पायलट की लापरवाही एवं सहायक लोको पायलट के द्वारा समय रहते RS/Emergency Flap Valve का प्रयोग नही करने से उक्त सतर्कता आदेश का उल्लंघन कर स्पीड बोर्ड को 41 कि.मी./घंटा की गति से पार कर सतर्कता आदेश स्थल से 155 मीटर दूर खड़े हुये। गति प्रतिबंध का उल्लंघन रेल के संरक्षित एवं सुरक्षित संचालन को प्रभावित करता है**,** अत: संरक्षित ट्रेन संचालन हेतु यह आवश्यक है कि ट्रैक पर अध्यारोपित गति प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन किया जाये ताकि भविष्य में **SR Violation** की घटनाओं को **Zero** स्तर तक लाया जा सके। अत: इस संदर्भ में आपरेटिंग सेफ्टी ड्राईव–**20/2020** जारी की जा रही है। जिसके अंतर्गत सभी मुख्य लोको निरीक्षक पायदान निरीक्षण एवं लॉबी काउंसलिंग के दौरान लोको पायलटों एवं सहायक लोको पायलटों को काउंसिल करते समय निम्न बिंदुओं पर विशेष फोकस करें**,** ताकि इस प्रकार की घटना की पुनरावृति न हो |

गति प्रतिबंध के उल्लंघन की रोकथाम हेतु सावधानियॉ :-

1. गाड़ी संचालन हेतु निर्धारित समय पर ड्यूटी पर उपस्थित होकर सतर्कता आदेश की प्रति प्राप्त करें एवं यदि सतर्कता आदेश का **प्रिंट अस्पष्ट** हो तो तुरंत सम्बंधित SM/YM से सम्पर्क कर स्पष्ट सतर्कता आदेश की प्रति प्राप्त करें।
2. लोको पायलट एवं सहायक लोको पायलट ऑन ड्यूटी के पश्चात अपनी गाड़ी के लिये लागू सतर्कता आदेश को अच्छी तरह से पढ लें, त्रुटि/भ्रम होने पर सम्बंधित SM/YM से चर्चा कर निदान करें।
3. सतर्कता आदेश मे सम्बंधित विवरण जैसे-दिनांक, गाडी सं.,समय और दिनांक से लागू ,कि.मी. नं.,खंड,गति प्रतिबंध एवं निर्धारित गति प्रतिबंध का कारण के सम्बंध मे 5 मिनट तक आपस मे गहन चर्चा करें।
4. सतर्कता आदेश की दोनो प्रति को LP/ALP आपस मे मिलान अवश्य करें।
5. स्थायी गति प्रतिबंध (PSR) की जानकारी WTT (Working Time Table) से नोट करें एवं लर्निंग रोड के दौरान खंड मे लागू स्थायी गति प्रतिबंधों को नोट कर कंठस्थ कर लें।
6. सतर्कता आदेश को कॉशन पैड /क्लीप बोर्ड पर लगाकर डेस्क बोर्ड पर सामने रखें। सहायक लोको पायलट पेपर फ्लैग (टैग) पर खण्ड के सभी कॉशन लिखकर अपने सामने लुक आउट ग्लास पर चस्पा करें।
7. गाड़ी संचालन के दौरान सदैव सजग एवं सतर्क रहें एवं ट्रेन संचालन के दौरान क्रू आपस मे अनावश्यक बात न करें।

8. प्रत्येक खण्ड मे लागू गति प्रतिबंध या NIL गति प्रतिबंध का प्रभावशाली तरीके से कॉल आउट करने की आदत बनाये।

9. सभी सतर्कता आदेश को हाईलाईट करें एवं सम्बंधित गति प्रतिबंध का पालन करने के पश्चात उसे टिक करें। सतर्कता आदेश में Ist ,IInd,IIIrd,IVth लाईन के लिये गति प्रतिबंधों के बारे में पूर्ण रूप से समझ लें।

10. सहायक लोको पायलट ,लोको पायलट को गति प्रतिबंध के आगमन से पूर्व समय से सूचित करें।

11. खंड मे लागू गति प्रतिबंध हेतु इंजीनियरिंग बोर्डों का यथा स्थान पर नही पाये जाने पर TLC/PCOR को सूचित करें।

12. कॉशन की समाप्ति सुनिश्चित करने के उपरांत ही सामान्य गति से ट्रेन का संचालन करें तथा किसी सतर्कता आदेश की समाप्ति का समय एवं उसी स्थान पर निश्चित समय मे लागू हो रहे नये सतर्कता आदेश के मामले में सदैव सतर्क रहें एवं चौकन्ना रह कर कार्य करें।

13. समस्त मुख्य क्रू नियंत्रक ,लॉबी पर स्थायी गति प्रतिबंध का चार्ट खंड के अनुसार लगाये एवं अस्थायी गति प्रतिबंध का रजिस्टर होना सुनिश्चित करें।

14. ALP /CO-LP, लोको पायलट की गतिविधि पर सतर्क निगाह रखें एवं गति प्रतिबंध उल्लंघन की सम्भावना होने पर RS/Emergency Flap Valve का प्रयोग करें।

15. गति प्रतिबंध उल्लंघन (SR VIOLATION) से बचाव हेतु समस्त विभाग के कर्मचारी जैसे LP/ALP/Guard /SM तथा इंजीनियरिंग विभाग के सक्षम कर्मचारी अपना शत-प्रतिशत योगदान दें एवं आपस मे समन्वय स्थापित करें।

सभी मुख्य लोको निरीक्षक निम्न फार्मेट के अनुसार रिपोर्ट तैयार करें एवम इस आपरेटिंग सेफ्टी ड्राईव की अनुपालना रिपोर्ट दिनांक-12.11.2020 तक नीचे दिये गये फार्मेट में **IPAMS** में भरना सुनिश्चित करें। मुख्य क्रयू नियंत्रक आगरा, मथुरा, नई दिल्ली अपने अधीन कार्यरत शत प्रतिशत कर्मचारियों का इस आपरेटिंग सेफ्टी ड्राईव को पढ़ना सुनिश्चित करें।

Signed by Aftab Ahmad
Date: 27-10-2020 16:43:57
Reason: Approved

(आफताब अहमद)
वरि. मंडल विजली इंजी.(परि.)
उ.म.रे., आगरा

प्रति/- -वरिष्ठ मं. वि. इंजी/ओपी/इलाहाबाद/झांसी/कोटा/दिल्लीकोसूचनार्थएवंआवश्यककार्यवाहीहेतु।
- वरिष्ठ मं. संरक्षा अधिकारी/आगरा कोसूचनार्थएवंआवश्यककार्यवाहीहेतु।
- वरिष्ठ मं. यॉँ. इंजी/ओ.एंड एफ./आगरा/इलाहाबाद/झांसी/दिल्लीकोसूचनार्थएवंआवश्यककार्यवाहीहेतु।
-वरिष्ठ मं. यॉँ. इंजी./ जयपुर/ इज्जत नगर कोसूचनार्थएवंआवश्यककार्यवाहीहेतु।
- मं.वि. इंजी/ओपी/नई दिल्ली, स.मं.वि.इंजी/ओपी/आगराकोसूचनार्थएवंआवश्यककार्यवाहीहेतु।
- प्रधानाचार्य/विद्युतप्रशिक्षणकेन्द्र/कानपुरकोसूचनार्थएवंआवश्यककार्यवाहीहेतु।
- एस.एस. ई.ट्रिपशेड नईदिल्ली/निजामुद्दीनउ.मरे.को सूचनार्थएवंआवश्यककार्यवाहीहेतु।
-CTLC, CPCOR,मुख्यक्रूनियंत्रक,आगराकैंट,मथुरा,नईदिल्लीएवंसमस्तमुख्यलोकोनिरीक्षक, आगरामंडल।
-मंडल सचिव NCRMU/NCRES.